भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3798

(दिनांक 03.04.2025 को उत्तर के लिए)

कर्मचारियों को सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करना

3798. श्री नगेन्द्र रॉयः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 30 जून/31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई/1 जनवरी को सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश किस तारीख से अनुप्रयोज्य एवं कार्यान्वित हुआ है; और

(ग) क्या इस आदेश का कार्यान्वयन वर्ष 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : जी हां। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.ए. डायरी सं. 2400/2024 में दिनांक 06.09.2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में तथा विधि कार्य विभाग और व्यय विभाग के साथ उचित परामर्श के उपरांत, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19/116/2024-कार्मिक नीति (वेतन) (पीटी) के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/116/2024-कार्मिक नीति (वेतन)(पीटी) के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 11.04.2023 का निर्णय तृतीय पक्षों के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात, एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन, दिनांक 01.05.2023 को और उसके बाद देय होगी। दिनांक 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कोई आवेदन या रिट याचिका दायर की है और हितकारी आदेश पारित किया गया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप/अभियोजन (इम्प्लीडमेंट) के लिए आवेदन दायर किया गया था।
